

FORM No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

जान यूकी देवी वर्मा वनाम तहसीलदार

म मुकदमा दावा मुकदमा नं० ५१३ सन् 2020

| दिनांक हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|---|--|--|
| 16/06/20 | <p>वादीगण श्री और से कहीं श्री रामावतार बिजारिया ने वादपत्र पेश किया। विपरीत कर लिया गयी। वाद पत्र दर्ज राखे गये। प्रतिवादीगण को अख्तियार तमक किया जाकर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13/07/20 को पेश हो।</p> | |
| <p>02/12/2020</p>  | <p>कोविड -19 संक्रमण के चलते पत्रावली निमत तारीख पेशी पर आज पेश हुई। वहील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में भूमिदारी तहसीलदार जखेल का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली दिया गया।</p> <p>प्रकरण में वहात वहील वादीगण सुनी गई। दौरान वहात वहील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंतिम तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुलोब दाव उड़ी प्रमाण जाने का निवेदन किया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं जवाब भूमिदारी का प्रकलन डिप्टी प्रिंटेर भूमिदारी ने पदीगव प्रकार चर्चे में अनुसंधान की अभिसंधान की है। अतः पाद पदीगव स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-

घोषणा

तब ग्राम गोकुलवाक्स तहसील पंचेक जिला सीकर (राज.) अवस्थित हवि भूमि खण नं० 118, 119, 121, 142 में पदीगव एवं तस्वीर प्रतिकपदीगव के पति/पिता का बोलना नाम " मांगू पुत्र गौरिमा " लिखा 1/3 के स्वान पर रही एवं कार्तविक नाम " भागू राम पुत्र गौरिमा " लिखा जाता है। उक्त- मुक्तार राजस्व रेकार्ड में अमत परामद हो तब उपमुक्तार पंचा लिखी मुर्तेष हो। 19/1/19... मुंसल शुमार हींडर मम्बर से कम हो तथा पाद तहसील पाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को मेरे प्रकार एरुताकरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रा. उ. श. कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी R.A.S.
 खण्डेला (सीकर)
 खण्डेला (सीकर)